



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च, 1982

चैत्र 10, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1090/सत्रह-वि०-1-1-क-12-1982

लखनऊ, 31 मार्च, 1982

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 31 मार्च, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1982 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 15
सन् 1977 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1977 की धारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1983" रख दिये जायेंगे।

ब्राज से,
गंगा बरूण सिंह,
सचिव।

No. 1090(2)/XVII-V-1-1-Ka-12-1982

Dated Lucknow, March 31, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik-Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1982.

**THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA)
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1982**

(U. P. ACT NO. 15 OF 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982.

Amendment of
section 2 of
U.P. Act no. 15
of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), for the words and figures "31st day of March, 1982", the words and figures "31st day of March, 1983", shall be substituted.